

भारत की वचाराधीन ज़मानत प्रणाली में सुधार

प्रलिस के लयि:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ज़मानत, ज़मानत के प्रकार

मेन्स के लयि:

आपराधिक न्याय प्रक्रिया, न्यायपालिका, संवैधानिक संरक्षण, ज़मानत के प्रकार, वचाराधीन कैदी की कैद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

सर्तेंद्र कुमार अंतलि बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2022 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति, भारत की ज़मानत प्रणाली की अक्षमता और वचाराधीन कैदियों के संकट को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।

- यह मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिये ज़मानत कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत की ज़मानत प्रणाली के संबंध में क्या चर्चा है?

- उच्च वचाराधीन कैदी जनसंख्या:**
 - भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक आबादी वचाराधीन कैदियों की है, जो ज़मानत प्रणाली के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या का संकेत देती है।
 - वचाराधीन कैदी वह होता है जिस पर किसी अपराध का आरोप है लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्हें न्यायिक हरिसत में रखा गया है, जबकि उनके मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
 - भारतीय जेलों में भीड़भाड़ की दर 118% है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाती है।
- ज़मानत पर नरिणय:**
 - प्रत्येक मामले की वशिष्टताओं पर वचिर करते हुए, ज़मानत का नरिणय काफी हद तक अदालत के वविक पर नरिभर करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय इस वविकाधिकार के लिये दशा-नरिदेश प्रदान करता है, जिसमें ज़मानत देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन अपराध की गंभीरता और फरार होने की संभावना जैसे कारकों के आधार पर इनकार की भी अनुमति दी गई है।
 - ज़मानत ररिहाई का समर्थन करने वाले दशा-नरिदेशों के बावजूद, अदालतें अक्सर ज़मानत देने से इनकार करने या कड़ी शर्तें लगाने की ओर झुकती हैं।
 - अदालतें अक्सर ज़मानत से इनकार करने का कारण नहीं बताती हैं, जिससे नरिणयों के पीछे का तर्क अस्पष्ट हो जाता है।
 - हाशरि पर रहने वाले ववक्ति इन वयापक अपवादों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें या तो ज़मानत से इनकार या कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता है।
- ज़मानत अनुपालन में चुनौतियाँ:**
 - ज़मानत शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों के कारण कई वचाराधीन कैदी ज़मानत मलिन के बाद भी जेल में रहते हैं।
 - धन या संपत्ति की व्यवस्था करने और स्थानीय ज़मानतदारों को खोजने के लिये संसाधनों की कमी अनुपालन में बड़ी बाधाएँ हैं।
 - अन्य कारक जैसे नविस और पहचान प्रमाण की कमी, परविर द्वारा त्याग दिया जाना, तथा न्यायालय प्रणाली को नेवगिट करने में संघर्ष करना भी अनुपालन में बाधा डालता है।
 - ज़मानत शर्तों को पूरा करने और न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने में वचाराधीन कैदियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है, वशिषकर उन लोगों के लिये जो संरचनात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
 - मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने में वफिल हैं।
 - यरवदा और नागपुर में फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) के डेटा से पता चलता है कि मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से

समाधान करने में वफिल हैं।

- **14% मामलों में, वचाराधीन कैदी ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं कर सके**, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लगातार कारावास में रहना पड़ा।
- लगभग 35% मामलों में, वचाराधीन कैदियों को ज़मानत की शर्तों को पूरा करने और सुरक्षित रहिाई के लिये ज़मानत दिये जाने के बाद एक महीने से अधिक समय लग गया।

■ सुरक्षा उपायों का अभाव:


- सर्वोच्च न्यायालय ज़मानत मांगने की आवश्यकता को कम करने के लिये **मनमानी गरिफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के महत्त्व** पर जोर देता है।
 - मनमाने ढंग से गरिफ्तारी और हरिसत कसिी अपराध के सबूत या उचित उचित प्रकरिया के बना कसिी व्यक्तकी गरिफ्तारी या हरिसत है।
- हालाँकि ये सुरक्षा उपाय प्रायः **वंचति पृष्ठभूमि** के कई व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं, जो **अधिकांश वचाराधीन कैदी** हैं।
- FTP का डेटा इस मुद्दे पर प्रकाश डालता है: **FTP** द्वारा प्रतिनिधित्व किये गए वचाराधीन कैदियों (2,313) में से **18.50% प्रवासी** थे, **93.48% के पास कोई संपत्ति नहीं थी**, 62-22% का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था और 10% का पछिले कारावास का इतिहास था।
 - यह डेटा इंगति करता है कि एक महत्त्वपूर्ण हसिसे को अनुचित रूप से गरिफ्तारी सुरक्षा से बाहर रखा गया है, जो जेलों में वचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या में योगदान का कारण है।

■ त्रुटिपूर्ण धारणाएँ:

- **ज़मानत की वर्तमान प्रणाली** का तात्पर्य यह है कि गरिफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्तके पास इसका भुगतान करने का साधन है या उसके मज़बूत सामाजिक संबंध हैं।
 - इसका मानना है कि अभ्युक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय जोखिम आवश्यक है।
- यह **"जेल नहीं ज़मानत"** के सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका उद्देश्य मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को रहिा करना है।
- इस प्रकार ज़मानत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, हालाँकि सुधार अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से समस्या को समझने पर आधारित होना चाहिये।

नोट:

- फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) **दिल्ली में राष्ट्रीय वधि विश्वविद्यालय** पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है। FTP का लक्ष्य वचाराधीन कैदियों के लिये **नषिपक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना** है।
 - FTP राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं जैसे युवा पेशवरों को प्रशिक्षण एवं सलाह देता है।



भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

-न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- ➔ **दंडात्मक हिरासत:** न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतु दंडित करना।
- ➔ **निवारक निरोध:** न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

| अपराध का प्रकार | जमानती | गैर-जमानती |
|------------------------|---|---|
| ■ CrPC के तहत परिभाषित | अनुसूची 1 में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध | जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध |
| ■ जमानत देने की शक्ति | अधिकार के रूप में जमानत | न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो |

भारत में जमानत के प्रकार

- **नियमित जमानत:** पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश
- **अंतरिम जमानत:** अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है
- **अग्रिम जमानत:** गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है
- **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है
- **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर

जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि

जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

| जमानत | पैरोल | परिवीक्षा |
|---|---|--|
| ■ मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिवादी की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु जमा राशि द्वारा सुरक्षा | जब व्यक्ति को कारावास की सज़ा से कुछ समय की छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिये, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु | किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना |
| ■ न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त | पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदत्त | न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त |



पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत

- **पुलिस हिरासत** का अर्थ है कि **संज्ञेय अपराध के लिये FIR दर्ज होने के बाद** साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अथवा गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिये पुलिस द्वारा **आरोपी को लॉक-अप में** रखा जाता है।
- **न्यायिक हिरासत** का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। यह गंभीर अपराधों के लिये है, जहाँ न्यायालय **पुलिस हिरासत** अवधि समाप्त होने के बाद साक्ष्यों अथवा गवाहों के साथ **छेड़छाड़ को रोकने के लिये आरोपी को हिरासत में ले सकती है।**

| स्थितियाँ | पुलिस हिरासत | न्यायिक हिरासत |
|----------------------------|---|--|
| हिरासत का स्थान | किसी पुलिस थाने के लॉक-अप में अथवा जाँच एजेंसी के पास | मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में जेल |
| न्यायालय के समक्ष उपस्थिति | 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष | जब तक न्यायालय से जमानत का आदेश नहीं प्राप्त हो जाता |

| | | |
|-------------------|--|---|
| प्रारंभ या शुरुआत | शिकायत प्राप्त होने अथवा FIR दर्ज करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गरिफ्तारी के समय | सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद कर्जा के लिये आरोपी की हरिसत आवश्यक है |
| अधिकतम अवधि | 24 घंटे (उपयुक्त मजस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक वस्तितारति कथि जा सकत है) | आजीवन कारावास, मृत्यु दंड अथवा न्यूनतम दस वर्ष की कैद से दंडनीय अपराधों के लिये 90 दिन; अन्य अपराधों के लिये 60 दिन |

आगे की राह

- जमानत के संबंध में **सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह कथि बना सभी** व्यक्तियों के लिये **नषिपकष और न्यायसंगत वधि** सुनश्चिति करना । वचिराधीन कैदियों की आबादी में प्रमुख योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिये संशोधनों पर वचिरा करना ।
- सर्वोच्च न्यायालय **यूनाइटेड कगिडम के जमानत अधनियम के समान वशिष जमानत कानून** बनाने की सफिरशि करता है ।
 - यह कानून जमानत का सामान्य अधिकार स्थापति करेगा और जमानत नरिण्यों के लिये स्पष्ट मानदंड परभिषति करेगा । इसका उद्देश्य मौद्रकि बंधपत्र और जमानत पर नरिभरता कम करना है ।
- वचिराधीन कैदियों को जमानत अनुपालन और न्यायालय में पेशी के लिये वधिकि सहायता प्रदान की जानी चाहिये ।
- मनमाना रूप से हुई गरिफ्तारी के वरिद्ध कार्यानवति सुरक्षा उपाय सभी व्यक्तियों, वशिषकर वंचति पृष्ठभूमि के लोगों के लिये **समावेशी** और सुलभ होने चाहिये ।
- कानूनी सहायता, वत्तिय सहायता और सामाजकि सहायता सेवाओं तक पहुँच सहति जमानत शर्तों को पूरा करने में **वचिराधीन कैदियों की सहायता के लिये सहायता कार्यक्रम** का प्रावधान करना ।
- जमानत संबंधी सुधार के लिये समग्र दृष्टिकोण वकिसति करने के लिये सरकारी अभकिरणों, कानूनी संस्थाओं, नागरकि समाज संगठनों और सामुदायकि समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।
- जमानत सुधार पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के कषेत्रों की पहचान करने के लिये अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु तंत्र स्थापति करना ।

कानूनी अंतरदृष्टि: [सतेंद्र कुमार अंतलि मामला](https://www.drishtijudiciary.com/hin)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforming-india-s-undertrial-bail-system>

